(35) 260

R. 5205-पी/16

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर म॰प्र॰ सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा
जिला रीवा म॰प्र॰

1॰ गोविन्द तनय छविलाल चमार उम्र 50 वर्ष

2॰ पतिराज पती तनय रामेश्वर चमार, उम्र 60 वर्ष,

3॰ कुंजलाल तनय पती चमार उम्र 40 वर्ष, सभी निवासी ग्राम पाडर थाना व तहसील मउगंज तहसील मउगंज जिला रीवा म॰प्र॰ ---आवेदक/ निगरानीकर्तागण

बनाम

1॰ सत्यभान तनय ज्वाला चमार उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम पडर थाना व तहसील मउगंज, जिला रीवा म॰प्र॰

2॰ केवा मुस0 सोनेवा ﴾मृत﴿

3॰ श्यामकली कली पुत्री छविलाल पति श्यामलाल साकेत

4॰ सरिता पुत्री छविलाल पिता पति हीरालाल साकेत दोनो निवासी ग्राम दुरेहटा, - बकुलिहा उप जेल मउगंज थाना व तहसील मउगंज जिलारीवाम॰प्र॰

5॰ दसोमती पुत्री छविलाल पत्नी मथुरा साकेत निवासी ग्राम हर्दी थाना व तहसील नई गढ़ी जिला रीवा म॰प्र॰ --- अनावेदक/ गैरनिगरानीकर्तागण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील मउगंज के द्वारा रा0प्र0क्र0 5/अ70/10-11 मे पारित आदेश दिनांक 27॰4॰016 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू॰ रा॰ सं॰ 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

यह कि आवेदक / निगरानी कर्तागण ग्राम पडर मे स्थित आ0क्र0 210/2 के पुस्तैनी रूप से घर बना कर आवाद है, उक्तभूमि का सीमांकन अनावेदकक्र0 1 के द्वारा सरहददी काश्तकारो की गैर मौजूदगी मे करा कर आवेदक की निस्तार

(35

रा[redacted]ण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R52[redacted]1616 जिला–रीवा

गोविन्द चमार/ सत्यभान चमार

(1)	(2)	(3)
58-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 5/अ–70/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	